

लॉरेंस गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने किया किनारा

● सलमान के घर फायरिंग,बाबा सिद्दीकी-मूसेवाला की हत्या जैसी वारदातें साथ कर चुके

जालंधर (एजेंसी)। देश और विदेश में अपना नेटवर्क चलाते वाले गैंगस्टर लॉरेंस का गैंग दो फाड़ हो गया है। कनाडा से लॉरेंस का गैंग संभाल रहा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब रोहित गोदारा को साथ लेकर अलग हो गया है। इन गैंगस्टरों ने साथ मिलकर सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी का मर्डर जैसी चर्चित वारदातों को अंजाम दिया था। लॉरेंस गैंग और पंजाब पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिस्नई हैं।

चिराग पासवान के ऐक्टिव होने से बिहार बीजेपी सतर्क

● ‘किंग मेकर’ गेम प्लान के खुलासे के बाद एनडीए में हलचल

पटना (एजेंसी)। हाल के हफ्तों में, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से बिहार लौटने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई, जिसे राज्य की राजनीति में किंगमेकर या किंग नहीं तो किंग की भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। और यह संदेश भाजपा नेतृत्व के लिए भी सही है। जबकि भाजपा नेतृत्व



का कहना है कि पासवान अपनी पार्टी को सीट बंटवारे के तहत आवंटित किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं , सत्तारूढ़ पार्टी के एक वर्ग का कहना है कि वह केवल राज्य इकाई में भ्रम की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान ने हाल ही में कहा कि वह बिहार की राजनीति में वापस आने के लिए तैयार हैं क्योंकि राज्य के विकास में योगदान देना हमेशा से उनकी प्रेरणा रही है।

संरक्षक लुटेरा बन जाए, तो उसे सजा देना जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब संरक्षक ही लुटेरा बन जाए जो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसने कैश लूट मामले में एक कॉन्स्टेबल को बर्खास्त कर दिया था। मामला साल 2005 का है, कॉन्स्टेबल को जवानों की सैलरी के लिए लाए गए कैश बॉक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में कॉन्स्टेबल ने बॉक्स का ताला तोड़कर कैश निकाल लिया था। आईटीबीपी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बाद में जवान उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने आईटीबीपी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को

सुप्रीम कोर्ट बोला,आईटीबीपी जवान की बर्खास्तगी को रखा बरकरार

कहा था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कहा कि, इस तरह के अपराधों में दोषी पाए गए कॉन्स्टेबल को उचित दंड देना अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा- जब बात सुरक्षाबलों की हो, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, जहां जिम्मेदारी की बात हो तो अर्धसैनिक बलों में इसकी भावना और अधिक होनी चाहिए। जहां अनुशासन, नैतिकता, निष्ठा, सेवा के प्रति समर्पण



और विश्वसनीयता नौकरी के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टेबल जागेश्वर सिंह एक अनुशासित अर्धसैनिक बल का सदस्य था, जो एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में तैनात था। उसे कैश बॉक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, उसने अपने विश्वास और भरोसे को दरकिनार कर कैश बॉक्स को तोड़ दिया। कॉन्स्टेबल जागेश्वर सिंह को 30 नवंबर, 1990 को आईटीबीपी में भर्ती किया गया था और वह 4-5 जुलाई, 2005 की मध्यरात्रि को कोटे में संतरी के रूप में ड्यूटी कर रहा था, जहां जवानों को सैलरी के रूप में दिए जाने

वाले लाखों रूपए से भरे कैश बॉक्स रखे हुए थे। सिंह ने कथित तौर पर ताला तोड़ दिया और नकदी ले ली, इसके बाद कैश बॉक्स को कोटे से लगभग 200 गज की दूरी पर छिपा दिया और पोस्ट से भाग गया। जब घटना कंपनी कमांडर को पता चली तो उन्होंने तुरंत आस-पास के इलाके के साथ-साथ उत्तरकाशी की ओर जाने वाले वाहन की भी तलाशी ली, लेकिन आरोपी भाग निकला। कंपनी कमांडर ने तब मामले की सूचना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को दी और बाद में 6 जुलाई, 2005 को कॉन्स्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हुई, जिसमें जवान दोषी पाया गया।

दक्षिण में होगी भारी बारिश उत्तर अभी भी रहेगा सूखा!

हो जाए अलर्ट! मौसम विभाग की ने दे दी चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत में भले ही भीषण गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। परसों यानी कि 10 जून से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 8-11 जून और हिमाचल व उत्तराखंड छोड़कर उत्तर पश्चिम के अन्य राज्यों में अगले चार दिनों तक हीटवेव चलने वाली है। मौसम विभाग

के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 11-14 जून, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 10-13 जून

जून, लक्षद्वीप में 13 व 14 जून को बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, इंदौरिय कर्नाटक के इलाकों में 12 जून को तेज हवाएं चलने का



को बहुत भारी बरसात होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में 10-14 जून, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 11-14

अनुमान है। पूर्वी व मध्य भारत की बात करें तो अंडमान व निकोबार, ओडिशा में 8-12, मध्य प्रदेश में 8 व 9, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल में 11 और 12 जून,

मैतेई लीडर की गिरफ्तारी से फिर सुलगा मणिपुर

● प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला ● कई गाड़ियां फूँकीं,पत्थर से भी हमला,5 जिलों में इंटरनेट बंद

इंफाल (एजेंसी)। 3 मई 2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। इन दो सालों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा

में हिंसा भड़काने के आरोप है। इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद शनिवार देर रात मणिपुर में हिंसा



एफआईआर दर्ज हुई है। मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता करन सिंह को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2023

भड़क गई थी। राजधानी इंफाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी, सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए।

प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। सरकार ने 7 जून की रात 11:45



बजे से पांच दिनों के लिए 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी है। इनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थोबल,

काकचिंग और बिष्णुपुर शामिल हैं। इंफाल ईस्ट और बिष्णुपुर में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मणिपुर में 3 मई

2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की।

असम से बाहर निकाले जाएंगे अवैध बांग्लादेशी

● सरमा बोले-अब 1950 में बने कानून का होगा इस्तेमाल

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब अवैध प्रवासियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के निष्कासन के लिए विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, सरकार अब सीधे 1950 के कानून का उपयोग करेगी, जो अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा,सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6 पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। असम में प्रवासियों को सीधे निष्कासित करने के लिए पहले से ही एक वैध कानून मौजूद है।



जस्टिस यशवंत वर्मा उठा सकते हैं बड़ा कदम

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने के लिए राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू कर दी है। अब जस्टिस वर्मा के सामने महाभियोग से बचने का केवल एक ही विकल्प है। अगर वह प्रस्ताव आने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो महाभियोग से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हटाने के मामलों के जानकारीदारों का कहना है कि संसद में खुद का बचाव करने से बचने के लिए वह मौखिक रूप से ही इस्तीफा का ऐलान कर सकते हैं। अगर वह खुद से ही इस्तीफा दे देते हैं तो रिटायर्ड हाई



कोर्ट के जज की तरह ही उन्हें पेंशन और बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हालांकि अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना पड़ता है तो उन्हें पेंशन तक नहीं मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति को

● महाभियोग से बचने का अब बचा है एक ही रास्ता

● मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार भी हुई ऐक्टिव

पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें किसी की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। इस्तीफा देने के लिए जज का पत्र ही काफी होता है। अगर जज अपने पत्र में इस्तीफा देने की कोई तारीख बताता है तो उसतारीख से पहले उसके पास इस्तीफा वापस लेने का भी अधिकार होता है।

राफेल जेट को अब मिलेगा ‘मेक इन इंडिया’ का टच



नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप ने मिलकर हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमानों का फ्यूजलेज बनाने का फैसला किया है। फ्यूजलेज विमान का मुख्य ढांचा होता है। यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुए 63,887 करोड़ रुपये के बड़े समझौते का हिस्सा है। इस समझौते में भारत की नौसेना के लिए 26 राफेल-मरीन जेट विमान खरीदे जाएंगे। इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 2030 के बीच होने की उम्मीद है। यह पहली बार है कि डसॉल्ट कंपनी फ्रांस के बाहर राफेल विमान के फ्यूजलेज का उत्पादन करेगी। हैदराबाद में बनने वाली यह यूनिट बहुत महत्वपूर्ण होगी।

ग्लोबल एयरोस्पेस हब बनने के लिए है तैयार है भारत!

इससे पता चलता है कि भारत की एयरोस्पेस निर्माण क्षमता पर भरोसा बढ़ रहा है। इस नई यूनिट में मल्टी-रोल फाइटर जेट के कई महत्वपूर्ण हिस्से बनेंगे। इनमें लेटरल रियर शेल, फुल रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजलेज और फ्रंट सेक्शन शामिल हैं। भारतीय वायु सेना पहले से ही राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इस कदम से भारत की भूमिका इसकी ग्लोबल स्प्लाइं चेन में और भी मजबूत होगी। हैदराबाद में यह दूसरा बड़ा एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग साइट होगा। इससे पहले टाटा-बोइंग का जॉइंट वेंचर भी यहां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज बनाता है। इन हेलीकॉप्टरों को भारत ने अमेरिका से खरीदा है। डसॉल्ट-टाटा की यह साझेदारी ऐसे समय में हो रही है जब भारत सरकार अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम (एडवांस्ड मीडियम कॉन्वैट एयरक्राफ्ट) को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल रही

है। इसमें सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल होगी। विदेशी कंपनियों के साथ बढ़ते सहयोग, घरेलू इनोवेशन और सरकारी मदद से



अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है। डसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच सहयोग से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात को कम किया जाए। इसे ही ‘आत्मनिर्भरता’ कहा जा रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च

इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। लेकिन 2020 से 2024 के बीच उसके सैन्य आयात में 9.3 फीसदी की कमी आई है। इसकी तुलना 2015-2019 के पिछले पांच वर्षों से की गई है। फ्यूजलेज किसी भी लड़ाकू विमान का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका स्थानीय स्तर पर निर्माण होना इस बात का संकेत है कि भारत एयरोस्पेस उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद की यह फैसिलिटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4.5-जनरेशन का राफेल विमान भारत के 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट में सबसे आगे है। इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये है। भारतीय वायु सेना में फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। डसॉल्ट और टाटा ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि पहले फ्यूजलेज सेक्शन वित्त वर्ष 2028 में बनने शुरू हो जाएंगे। इस फैसिलिटी से हर महीने दो पूरे फ्यूजलेज बनाने की उम्मीद है। यह फैसिलिटी एक हाई-प्रिसिजन एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में काम करेगी। यह न केवल भारत की रक्षा तैयारियों में योगदान देगा, बल्कि ग्लोबल मदद करेगा।

मिशन कर्मयोगी में नगरीय प्रशासन एवं विकास के 43 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पंजीकृत

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी की अवधारणा और कार्य-प्रणाली को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण नीति तैयार की है। इस नीति में प्रत्येक विभाग के बजट में मिशन कर्मयोगी के लिये बजट का एक प्रतिशत आरक्षित किया गया है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिये आवश्यक संसाधन सुनिश्चित हो रहे हैं। यह व्यवस्था संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में भी लागू की गयी है।

मिशन कर्मयोगी डिजिटल पोर्टल पर अब तक 43 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकृत किया जा चुका है। ये कुल कर्मचारियों का लगभग 70 प्रतिशत है। संचालनालय के 8816 प्रतिभागी पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं, जिनमें से 6843 अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। विभाग द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से 4 ई-लर्निंग मॉड्यूल निर्मित किये गये हैं। इनमें आश्रय-स्थल प्रबंधन, स्व-सहायता समूह गठन एवं प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शामिल हैं।

प्रदेश की क्षमता निर्माण नीति मिशन कर्मयोगी के आदर्शों पर आधारित एक ठोस एवं दायित्वपूर्ण रणनीति है। इससे राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कौशल और नेतृत्व क्षमता लगातार बढ़ेगी। राज्य सरकार की यह पहल केन्द्र सरकार की नीति से मेल खाती है। प्रशिक्षित प्रशासन तंत्र से सक्षम उत्तरदायी सुशासन व्यवस्था को साकार किया जा रहा है।

महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

बेटे ने सबसे पहले फंदे पर लटका हुआ देखा, पुलिस जांच में जुटी

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कोकता मल्टी में रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने मां का काम कर जांच शुरू कर दी है। घटना शनिवार रात की है। रविवार दोपहर पीएम के बाद बाँडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

मृतका की शादी को 15 साल बीत चुके हैं। उसके 8 और 12 वर्ष के दो बेटे हैं। पुलिस के मुताबिक अनिता अहिरवार पति मुकेश अहिरवार (35) मल्टी कोकता में रहती थी। शनिवार रात बच्चे घर के बाहर खेलने गए थे। पति हलवाई हैं और काम पर गए थे। कुछ देर में उनका 12 वर्षीय बेटा घर के अंदर पहुँचा।

उसने देखा की मां फांसी के फंदे पर लटकी हैं। उसने तत्काल पिता को मामले की जानकारी दी। पिता ने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने शव को फंदे से उतारा। पति ने घर पहुँचने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना किया। रविवार को बाँडी पीएम के बाद परिजनों को सौंप दी गई। पुलिस को फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतका के मायके पक्ष ने भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं। पुलिस मामले की सभी एंगल पर जांच कर ही है।

इंस्टा फ्रेंड ने किया युवती से रेप

प्रेग्नेंट हुई तो खाई गर्भपात की दवा, अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

भोपाल (नप्र)। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक-युवती में प्रेम प्रसंग हो गया। आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर युवती को मिलने बुलाया। हबीबगंज इलाके की एक होटल में लड़की से रेप किया। विरोध करने पर जल्द शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद तीन साल तक दोनों रिलेशन में रहे। पिछले दिनों लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो युवक ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने गर्भपात के लिए दवा खा ली।

युवती की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल से पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद कोलार पुलिस ने जीरो पर रेप केस दर्ज कर डायरी हबीबगंज पुलिस को सौंप दी है। एसआई मुका शर्मा ने बताया कि 21 वर्षीय पीड़िता कोलार इलाके में रहती है। ग्रेजुएशन के बाद प्रइवेट जॉब कर रही है। वर्ष 2023 में उसकी बात इंस्टाग्राम पर चिराग सिंह से होने लगी।

चैटिंग से शुरू हुआ प्रेम प्रसंग

इंस्टाग्राम पर चैटिंग के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और कॉल पर बात होने लगी। 18 फरवरी 2023 में चिराग ने पीड़िता को मिलने बुलाया और हबीबगंज स्टेशन के करीब एक होटल में ले गया। यहां उसने लड़की से जबरन संबंध बनाए। विरोध करने पर जल्द शादी करने का भरोसा दिलाया।

अलग-अलग स्थानों पर कई बार की ज्यादाती

बाद में आरोपी पीड़िता को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर ज्यादाती करता रहा। पिछले दिनों लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसने यह बात चिराग को बताई तो उसने बातचीत बंद कर दी। इससे तंग आकर पीड़िता ने स्वयं गर्भपात का फैसला लिया। इसके लिए उसने एक दवा खाई जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां उसका इलाज जारी है। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पीड़िता को केवल आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर मालूम है। वह स्वयं को चूना भट्टी का रहने वाला बताता था।

भोपाल में 10 जून से शुरू होगा ‘आम महोत्सव’

डिस्प्ले होगा 2000 रुपए किलो का ‘नूरजहां’, रीवा का शुगर-फ्री ‘सुंदरजा’ भी रहेगा आकर्षण का केन्द्र

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित नाबाई क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में ‘राज्य स्तरीय आम महोत्सव 8.0’ की शुरुआत 10 जून से होगी। 14 जून तक चलने वाले इस आयोजन में मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों से लाए गए प्राकृतिक रूप से पके रसायनमुक्त आमों की 15 से अधिक किस्में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी।

इस वर्ष महोत्सव की खास बात यह है कि पहली बार दुर्लभ नूरजहां आम बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इससे पहले यह आम केवल प्रदर्शनी के लिए रखा जाता था। इस आम की कीमत 2,000 प्रति किलो है और इसका वजन 1.1 किलो से अधिक का होता है।

नूरजहां आम का उत्पादन केवल आलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में होता है, जहां इसकी खेती केवल 10 पेड़ों पर होती है। यह आम इतना भारी होता है कि हल्की हवा से भी गिर सकता है, इसलिए इसकी खेती एक चुनौती है।

शुगर के मरीजों के लिए उपयुक्त ‘सुंदरजा’ आम- रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र से लाया गया जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम भी खास आकर्षण रहेगा। यह आम फाइबर-फ्री होता है और शुगर मरीजों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी मिठास और गुणवत्ता इसे विशेष बनाती है।

नाबाई की चीफ जनरल मैनेजर सी. सारस्वी ने बताया कि वाड़ी परियोजनाओं से जुड़े आदिवासी परिवारों को



45 साल से कम उम्र के होंगे नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष

ऑब्जर्वर्स से प्रदेश प्रभारी बोले- पैनल में उन्हीं को रखें जिनको पार्टी में 5 साल से ज्यादा हुए

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष 35 से 45 साल की उम्र के होंगे। यह बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने रविवार को हुई वचुंअल मीटिंग में कही। उन्होंने कहा, 5 साल से पहले पार्टी में शामिल नेताओं को पैनल में न जोड़ें।

मध्यप्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली और भोपाल से नियुक्त ऑब्जर्वर्स की तीन सदस्यीय टीम अब हर जिले में जाकर जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तलाशेगी। इसके साथ ही जिले में कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी के कारणों की वजह भी तलाशेगी। पीसीसी से नियुक्त किए गए 165 ऑब्जर्वर्स की आज रविवार को जूम मीटिंग हुई।

इस वचुंअल मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित प्रदेश भर के ऑब्जर्वर जुड़े थे। 3 जून मंगलवार को राहुल गांधी भोपाल आए थे। उन्होंने मध्यप्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी।

45 साल से कम उम्र का हो जिला अध्यक्ष- वचुंअल मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा, एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर अपने जिले में दौरे का कार्यक्रम बनाकर नीयत समय पर पहुंचें। जिला कांग्रेस कमेटी जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करेगी। जिला अध्यक्ष के लिए 6 नामों का

पैनल तैयार करना है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जिला अध्यक्ष के लिए 35 साल से 45 साल के बीच की उम्र के नेता ही पैनल में शामिल हों।

यदि कोई सशक्त व्यक्ति और विचारधारा से जुड़ा हुआ सीनियर दावेदारी करता है तो उसे विशेष

परिस्थितियों में शामिल किया जा सकता है। कोई मजबूत कार्यकर्ता आयुसीमा के चक्कर में छूट न जाए। लेकिन, राहुल जी की सोच है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष युवा हो, तकनीक फेंडली हो, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो। ये सारी खूबियां वाले कार्यकर्ताओं को आप पैनल में शामिल करें।

पैनल में ये 6 प्रकार के नाम होंगे शामिल- हर जिले से जिला अध्यक्ष के लिए पैनल में 6 नाम शामिल किए जाएंगे। इनमें एससी,

एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला के नाम हर हाल में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद दो अन्य दावेदारों के नाम पैनल में शामिल रहेंगे।

किसी नेता के होटल में न रुकें, सुविधाओं का लाभ न लें- प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा चाहे एआईसीसी के ऑब्जर्वर हों या पीसीसी के पर्यवेक्षक हों। कोई भी किसी जिले में किसी नेता के होटल और घर पर न रुकें। न ही किसी स्थानीय नेता के साथ दौरे करें। आपके पूरे प्रवास की व्यवस्था एआईसीसी के निर्देश पर कराई जा रही है।

पर्यवेक्षक बोले- जिले में टीम जाएगी, हम बाहर होंगे तो सुझाव कैसे देंगे

एक ऑब्जर्वर ने कहा- पूरे प्रदेश में 10 जून से 30 जून के बीच ऑब्जर्वर जाएंगे। हम दूसरे जिले के पर्यवेक्षक हैं। ऐसे में यदि हम अपने आवंटित जिले में जिस दिन दौरे पर हैं और उसी दिन हमारे गृह जिले में ऑब्जर्वर बैठक करने आएंगे तो हम अपने जिले में ही सुझाव नहीं दे पाएंगे। इस पर प्रदेश प्रभारी ने कहा- आप लोग अपने सुझाव लिखित में अपने गृह जिले के ऑब्जर्वर्स को दें दें। उन्हें मान्य किया जाएगा।

50 हजार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकाली

कांग्रेस ने कहा- 230 करोड़ का घोटाला, ये भूतिया कर्मचारी, टीएमसी बोली- सीबीआई-ईडी सो रही

भोपाल (नप्र)। मप्र के करीब 50 हजार सरकारी कर्मचारी वित्त विभाग के लिए रहस्य बन गए हैं। इन कर्मचारियों की सैलरी पिछले 6 महीने से सरकारी खजाने से नहीं निकाली गई है। सरकारी रिकॉर्ड में इनके कोड एक्टिव है। 230 करोड़ रुपए खजाने में अटके पड़े हैं। इनकी सैलरी कभी भी आहरित की जा सकती है।

इधर, मामला सामने आने के बाद देशभर के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। टीएमसी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए पूछा कि वेतन घोटाले पर ईडी, आयकर और सीबीआई सो रही हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये सभी घोटस्ट एम्पलाई हैं। न इनकी पहचान है, न उपस्थिति।

ट्रेजरी कमिश्नर ने प्रदेशभर से मांगा रिकॉर्ड- दरअसल, 23 मई को मप्र के ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्ष्मकार ने प्रदेश के सभी जिला कोषालय अधिकारी को एक लेटर लिखा था। इसमें सभी अफसरों से सर्टिफिकेट मांगा गया है कि उनके ऑफिस में कोई ‘अनधिकृत’ कर्मचारी काम नहीं कर रहा।

दिसंबर 2024 से नहीं निकाला वेतन- लेटर में कहा गया है कि आईएफएमआईएस सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन-रेगुलर कर्मचारियों का डेटा संलग्न है जिनकी सैलरी दिसंबर

2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं लेकिन मूल्य या सेवानिवृत्ति तिथि की आईएफएसआईएस में प्रविष्टि नहीं हुई है। आईएफएमआईएस पोर्टल पर एक्टिव प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है।

अफसरों ने कहा- डेटा एनालिसिस से पकड़ी गड़बड़ी- मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि ये कर्मचारियों के डेटा एनालिसिस की नियमित प्रक्रिया है। इन कर्मचारियों के खातों में वेतन की राशि नहीं जा रही है। ये एक प्रकार से किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने की दिशा में विभाग का ही प्रयास है।

विभागीय अफसरों की मानें तो इनमें 40 हजार नियमित कर्मचारी और 10 हजार अस्थायी कर्मचारी हैं। औसतन वेतन के हिसाब से माना जाए तो 5-6 महीनों में इन कर्मचारियों के वेतन के करीब 230 करोड़ रुपए अटके हुए हैं।

सिंघार बोले- सरकारी खातों में भूत ने आधार लिंक करवाया- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर इस मामले को लेकर लिखा- मध्यप्रदेश में ‘भूत’ भी सरकारी कर्मचारी। राज्य के लगभग 50,000 कर्मचारियों की सैलरी पिछले 5-6 महीनों से ट्रेजरी से नहीं निकाली गई।

जनजागरूकता को बढ़ावा देने में अग्रणी है, बल्कि जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी सतत रूप से समर्पित है। विश्व बैंक ट्यूमर दिवस हमें समय पर जांच, अनुसंधान में निरंतर प्रगति और रोगियों के प्रति संवेदनशील उपचार की हमारी सामाजिक व चिकित्साकीय जिम्मेदारी को याद दिलाता है। इस जागरूकता अभियान में फैकल्टी सदस्यों, रजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, छात्रों तथा मरीजों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे कार्यक्रम न केवल प्रभावी रहा बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने में भी सफल रहा।

जिले का डेटा हर टीम के पास

राहुल गांधी के साथ 3 जून को हुई बैठक के बाद सभी ऑब्जर्वर्स को आर्वाटि जिले का जातिगत डेटा फोल्डर में दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस जिले में किस जाति की संख्या ज्यादा है और कौन से समाज के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिलाध्यक्ष के पैनल में इस डेटा के आधार पर भी लोग पैनल में शामिल किए जाएंगे।

पर्यवेक्षकों ने पूछा- नए नेता दावेदार तो क्या करें

मीटिंग में एक पर्यवेक्षक ने पूछा कि यदि कोई नेता दो साल पहले पार्टी में शामिल हुआ। वो पार्टी में काम भी कर रहा है और यदि वह जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे है तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर हरीश चौधरी ने कहा, जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से पार्टी में काम करने वाला होना चाहिए।

भितरघात की शिकायत तो नहीं कर पाएंगे दावेदारी

बैठक में एक पर्यवेक्षक ने पूछा कि जिनके खिलाफ भितरघात और चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, वे यदि दावेदारी कर रहे हैं तो क्या करना होगा? इस पर हरीश चौधरी ने कहा- यदि 5 साल के भीतर चुनावों में भितरघात की शिकायतें हैं और वे शिकायत सही हैं तो ऐसे लोगों को पैनल में नहीं जोड़ना चाहिए।

‘आम महोत्सव’

आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, उनकी आजीविका को सशक्त करना और विपणन कौशल विकसित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। आम महोत्सव वाड़ी से थाली तक की अवधारणा को साकार करता है।

ये किस्में भी रहेंगी उपलब्ध

मछिरका- यह आम आमतौर पर भोपाल में कम ही मिलता है। इसकी ग्राफ्टिंग नीलम और दशहरी आम को मिलाकर की जाती है। इसमें दोनों का स्वाद होता है। यह एक तरह का खट्टा-मीठा आम है। आमतौर पर यह शहडोल क्षेत्र में ही मिलता है। क्योंकि वहां का वातावरण इस आम के लिए अच्छा है।

आम्रपाली- यह अपनी ही तरह का आम है। इसकी ग्राफ्टिंग नीलम और मछिरका को मिलाकर की गई है। आम तौर पर यह आम उत्तरप्रदेश में फेमस है। क्योंकि शहडोल में यूपी से सटे इलाके में इसे लगाया जाता है। इसको खाने में आपको नीलम और मछिरका का स्वाद एक साथ मिलेगा।

मालदा-मालदा आम की गुच्छी छोटी होती है। पल्प यानी गूदा दूसरी वैराइटी की तुलना में 20 प्रतिशत तक अधिक होता है। यह पूरी तरह से मीठा होता है। वहीं, दशहरी और केसर में भी टेस्ट थोड़ा अलग मिलेगा। क्योंकि इलाकों के अनुसार इनके टेस्ट में भी थोड़ा अंतर होता है।

दूसरे एरिये में माल बेचा तो कंपनी की करेंगे शिकायत

भोपाल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की मीटिंग में निर्णय; कई मुद्दों पर मंथन

भोपाल (नप्र)। ई-कॉमर्स या मॉडर्न ट्रेड वाली कंपनियों ने मार्केट में अपना माल दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में बेचा तो इसकी शिकायत जीएसटी कार्डसिल में की जाएगी। यह निर्णय भोपाल के एम्पपी नगर में हुई भोपाल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की वार्षिक सधारण सभा में लिया गया।



एम्पी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील जैन (501) की मौजूदगी में यह बैठक हुई। इसमें एजीक्यूटिव बोर्डि के सभी सदस्य और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद थे। अध्यक्ष जैन ने व्यापारिक, नगर निगम, यालायत पुलिस, प्रशासन और कंपनियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। इसके अलावा संस्था के नए नियम जैसे- चेक बाउंस होने पर पैनाल्टी का प्रावधान, दो बार से अधिक चेक बाउंस होने पर उस व्यापारी से अगली बार चेक ना लिए जाने के संबंध में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉप द्वारा चोरी या गबन करने के पश्चात उस कर्मचारियों को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां नौकरी पर न रखने के संबंध में चर्चा भी शामिल हैं।

नए नियमों से अवगत भी कराया- बैठक में नए नियमों से सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा सदस्यता को बढ़ाना, ई-कॉमर्स, इनफील्ट्रेशन आदि समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश मेहता, सचिव सुनील जैन हरिओम, कोषाध्यक्ष अभिजीत सिंह ओबेरॉय, सह सचिव मनीष अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य दीपक मुत्तानी, ललित अग्रवाल, चंद्र भाई, अमित बक्कूल, दिलीप, संजय राठी ने अपने विचार रखें। सभा में भोपाल डीलर्स एसोसिएशन के दो संरक्षक सदस्य राजेंद्र राजदेव एवं अर्जुन दास संगतानी का सम्मान भी हुआ। वहीं, सभी सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

सुनियोजित एवं एकीकृत प्रयास से मध्यप्रदेश पर्यटन क्षेत्र में असीम क्षमता और निवेश का बना आकर्षक केन्द्र : उप मुख्यमंत्री शुवल ट्रेवल इंडिया टूरिज्म के नवीन भोपाल कार्यालय का किया शुभारंभ

भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि किसी क्षेत्र में यदि औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन क्रांति आ जाये तो उस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और बेरोजगारी तथा गरीबी वहाँ ढूँढने से भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अधोसंरचना विकास, पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण एवं प्रोत्साहन और पर्यटन क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ावा देकर सुनियोजित एवं एकीकृत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से आज मध्यप्रदेश पर्यटन क्षेत्र में असीम क्षमता और निवेश का क्षेत्रों में आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटक मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, धरोहर स्थल, संस्कृति और सुविधाओं के प्रति जागरूक होने तब पर्यटन क्षेत्र में विकास को तेजी मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र की उपलब्ध संभावनाओं पर सशक्त प्रयास से देश ही नहीं, विदेशों से भी अधिकाधिक सैलानियों को आकर्षित करने में हम सफल होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नवीन संस्थान के शुभारंभ पर ट्रेवल



धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने सतत जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के सांस्कृतिक, एडवेंचर, लेजर, धार्मिक, आध्यात्मिक, हेल्थ एंड वेलनेस, ग्रामीण, फ़िल्म आदि क्षेत्रों में आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटक मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, धरोहर स्थल, संस्कृति और सुविधाओं के प्रति जागरूक होने तब पर्यटन क्षेत्र में विकास को तेजी मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र की उपलब्ध संभावनाओं पर सशक्त प्रयास से देश ही नहीं, विदेशों से भी अधिकाधिक सैलानियों को आकर्षित करने में हम सफल होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नवीन संस्थान के शुभारंभ पर ट्रेवल

इंडिया टूरिज्म प्रा. लि. के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएँ दी।

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र में भी शासन विभिन्न मॉडल्स पर कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के लिए सब्सिडी एवं निवेश प्रोत्साहन की नीतियाँ लागू की गई हैं। भारत का हृदय स्थल मध्यप्रदेश पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इसे शासन, प्रशासन, निवेशकों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नई ऊँचाइयों पर ले जाया जाएगा। ट्रेवल इंडिया टूरिज्म प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कंपनी की 20वीं वर्षगांठ में पलखी नगर में नवीन कार्यालय की स्थापना की गई है, जिससे पर्यटकों को और अधिक बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि नवीन कार्यालय के माध्यम से कंपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, कस्टमर-फ़ेंडली सेवाओं और नई योजनाओं के साथ एक नई शुरुआत कर रही है। पर्यटन, ट्रेवल एवं आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े विशिष्टजन, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर एक विश्व जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर, उसके लक्षणों, शीघ्र पहचान और उपचार विकल्पों के बारे में सटीक व वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना था। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जानकारीपरक सत्रों के माध्यम से ब्रेन ट्यूमर की

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



अभी कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। उप-राष्ट्रपति, सांसदों एवं राजनेताओं ने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। एक दुर्लभ कदम के तहत, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा इस पर सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय मांगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यापालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय को अब संदर्भ का उत्तर देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया था कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए उसके द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में मान ली गई सहमति होगी। संदर्भ में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मान ली गई सहमति की अवधारणा संवैधानिक योजना से अलग है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को मौलिक रूप से सीमित करती है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए 14 तीखे सवाल भेजे। इसमें इस बात पर जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201, जो राज्यापालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, कोई समय-सीमा या विशिष्ट प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ निर्धारित नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए उनमें पहला सवाल यह है कि जब राज्यपाल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या हैं? दुसरा प्रश्न जब राज्यपाल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या वह अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? चौथा प्रश्न, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? पांचवा प्रश्न संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के

सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति के तीखे सवाल और समाधान

संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अब संदर्भ का उत्तर देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय मांगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यापालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है?

अभाव में, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? अन्य प्रश्नों में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय-सीमाएँ लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में, क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति या अन्यथा के लिए विधेयक को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है?

इसके अलावा यह भी राय मांगी गई है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं ? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक को सामग्री पर, किसी भी तरह से, कानून बनने से पहले न्यायिक निर्णय लेना अनुमेय है? साथ ही क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग तथा राष्ट्रपतिभ्राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ? इसके अलावा यह भी शामिल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू कानून है?

राष्ट्रपति द्वारा यह भी पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे ? यह भी संदर्भित किया गया है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने/आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं? इसके अलावा यह भी राय मांगी गई है कि क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है?

अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समय सीमा निर्धारित की थी जिसके भीतर राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करनी होगी। न्यायालय ने कहा था कि इस समय सीमा का पालन न करने पर



न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि हालांकि अनुच्छेद 200 के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि राज्यपाल को विधेयकों के स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कार्रवाई न करने की अनुमति मिल जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का निर्वहन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधेयकों पर निर्णय लेना आवश्यक है और इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण दर्ज करके संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक मामले में पारित फैसले की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई लोगों ने आलोचना की थी। संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकें। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की यह राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व काफी अधिक



होता है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत इस तरह की राय कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति ने यह संदर्भ 13 मई को भेजा, जिसमें कुल 14 कानूनी प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों में न केवल विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, बल्कि यह भी पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को खुद यह पहले तय करना चाहिए या नहीं कि कोई मामला संविधान की

व्याख्या से संबंधित है, जिससे उसे बड़ी पीठ को सौंपा जा सके। एक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति की सीमाओं को लेकर भी है। वहीं, अंतिम प्रश्न केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की मूल सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित है कि क्या यह सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है या अन्य अदालतों के पास भी?

इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राय देने से इंकार किया है। सन् 1993 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में जब मंदिर की पूर्व स्थिति पर राय मांगी गई थी, तब न्यायालय ने धार्मिक और संवैधानिक मूल्यों का हवाला देते हुए मना कर दिया था। सन् 1982 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास से संबंधित एक कानून पर राय मांगी गई थी, लेकिन कानून पारित हो जाने और उस पर याचिकाएं दायर हो जाने से राय अप्रासंगिक हो गई थी। इस बार के मामले को लेकर यह आशंका भी उठी है कि कहीं राष्ट्रपति (सरकार) पहले से दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटना तो नहीं चाहतीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय पहले स्पष्ट कर चुका है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई राय किसी न्यायिक निर्णय की समीक्षा या उसे पलटने का जरिया नहीं बन सकती। सन् 1991 में कावेरी जल विवाद में न्यायालय ने कहा था कि पहले दिए गए निर्णय पर दोबारा राय मांगना न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है।

संपूर्ण विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन की बहस को फिर से सामने लाता है। विपक्ष-शासित राज्यों में विधेयकों को राज्यापालों द्वारा लंबे समय तक रोककर रखने या अस्वीकार करने की घटनाओं से यह मुद्दा गरमाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसे 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को केंद्र और राज्य के संबंधों में असंतुलन बताया और समय सीमा जरूरी ठहराई। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को कार्यपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया। अब देखा यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस संवैधानिक मुद्दे पर क्या राय देता है और यह राय केंद्र-राज्य संबंधों और संविधान की व्याख्या को किस दिशा में ले जाएगी।

हिन्दू साम्राज्य दिवस

लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।



छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की स्वतंत्रता के महान नायक हैं, जिन्होंने 'स्वराज्य' के लिए संगठित होना, लड़ना और जीतना सिखाया। मुगलों के लंबे शासन और अत्याचारों के कारण भारत का मूल समाज आत्मदैत्य की स्थिति में चला गया था। विशाल भारत के किसी न किसी भू-भाग पर मुगलों के शोषणकारी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष तो चल रहा था लेकिन उन संघर्षों से बहुत उम्मीद नहीं थी। भारत के वीर सपूत अपने प्राणों की बाजी तो लगा रहे थे लेकिन समाज को जागृत और संगठित करने का काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के भीतर विश्वास जगाया कि हम मुगलों के शासन को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं, यदि सब एकजुट हो जाएं। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देवलोकगमन के बाद भी 'हिन्दवी स्वराज्य' का विचार पल्लवित, पुष्पित और विस्तारित होता रहा। ' हिन्दू साम्राज्य दिवस ' या ' श्रीशिव राज्याभिषेक दिवस ' भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने दुनिया को बताया कि भारत के भाग्य विधाता मुगल नहीं हैं। भारत का हिन्दू समाज ही भारत का भाग्य विधाता है। भारत में हिन्दुओं का राज्य है। उनके शासन का नाम है- ' हिन्दवी स्वराज्य '।

विक्रम संवत् 1731, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को स्वराज्य के प्रणेता एवं महान हिन्दू राजा श्रीशिव छत्रपति के राज्याभिषेक और हिन्दू पद पादशाही की स्थापना से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। दासता के घोर अंधकार में स्वराज्य की एक चमकदार रोशनी था- हिन्दवी स्वराज्य। हिन्दू साम्राज्य दिवस को हम भारत के स्वराज्य की हुंकार भी कह सकते हैं, जब हिन्दुओं ने आत्मविश्वास से सीना ठोककर मुगलों को ललकारा और कहा कि भारत में एक बार फिर स्वराज्य की स्थापना हो गई है, जिसमें सबका कल्याण है। अनेक इतिहासकार एवं विद्वान कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तो

भारत के स्वराज्य की हुंकार

भारत का इतिहास कुछ और होता। यह अतिशयोक्तिपूर्ण विचार नहीं है। अपितु भारत के पड़ोसी देशों एवं दूर-दराज के उन देशों की स्थिति को

देशों में वहाँ के मूल समाज की संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस प्रकार के अत्याचार मुगल शासक भारत में कर रहे थे, उसके बाद हिन्दू

शासन के अधीन पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। न कोई पूछताछ होती थी, न न्याय मिलता था। अधिकारी जो चाहें, वही करते थे। स्त्रियों के सम्मान का हनन, हत्याएं, हिंदुओं



देखकर सहज कल्पना की जा सकती हैं, जहाँ मूल समाज की अपेक्षा बाहरी आक्रांताओं का शासन स्थायी हो गया। ऐसे

समाज किस स्थिति को प्राप्त होता। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार जीएस सरदेसाई ने लिखा है कि 'मुस्लिम

का जबरन धर्म परिवर्तन, उनके मंदिरों का विध्वंस, गांवों का वध- ऐसे धिनौने अत्याचार उस शासन में आम बात थे।

रैगिंग

संध्या अग्रवाल

हाल ही में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छात्र के स्वजनों का आरोप है कि रैगिंग के कारण उनके बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी। इस घटना ने एक बार फिर से रैगिंग के घुरे को उजागर किया है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर छात्र के स्वजनों की बात सच है और सचमुच बच्चे की जान रैगिंग के कारण गई है, तो तत्काल रैगिंग पर रोक लगाने का समय आ गया है। अब किसी और घर का चिराग ना बुझे। अब और कोई बच्चा रैगिंग के चलते अवसाद में ना जाए, इसलिए रैगिंग बंद होना चाहिए। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो न केवल छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकती है। रैगिंग के दौरान छात्रों को शारीरिक और

मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वे अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। रैगिंग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को प्रताड़ित करने की मानसिकता। सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, जिससे वे अपनी दबंगई दिखा सकें। लेकिन यह दबंगई कई बार जानलेवा साबित होती है। रैगिंग के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रैगिंग के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचता है। रैगिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक

सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए काम करना होगा, जहां छात्र बिना किसी डर के अपनी रैगिंग के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रैगिंग के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचता है।

शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे और रैगिंग करने

वालों को सख्त सजा देनी होगी। रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और छात्रों को इसके खतरों के बारे में बताया होगा। रैगिंग के खिलाफ एकजुट हों और अपने कॉलेजों को सुरक्षित बनाएं। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना होगा, जहां वे बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो न केवल छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकती है। हमें रैगिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है और अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए काम करना होगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसमें छात्रों को इसके खतरों और नुकसान के बारे में बताया जा सकता है।

कॉलेजों में छात्र परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां छात्र अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेजों में रैगिंग विरोधी समिति का गठन किया जा सकता है। जो रैगिंग की घटनाओं की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने से रैगिंग की घटनाओं में कमी आ सकती है। शिक्षकों और कर्मचारियों को रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और छात्रों की समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। छात्रों के लिए समर्थन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, जिसमें वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रयासों से रैगिंग की समस्या का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है और कॉलेजों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाया जा सकता है।

झोपड़ी में लगी आग, 2 भैंसों की मौत, 5 झुलसीं

शिवपुरी में बचाते समय 1 युवक का हाथ-पैर जला, मुआवजे की मांग

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के देवगढ़ गांव में रविवार दोपहर एक खेत की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इस हादसे में दो भैंसों की जलकर मौत हो गई, जबकि पांच भैंसों गंभीर रूप से झुलस गई। आग से भैंसों को बचाने में एक युवक भी झुलस गया है।

खेत पर बनी झोपड़ी में बंधी थीं सात भैंस

देवगढ़ निवासी फूल सिंह लोधी का खेत गांव से एक किलोमीटर दूर है। उन्होंने खेत पर झोपड़ी बनाकर अपनी सात भैंसों को रखा था। रविवार दोपहर करीब 3 बजे फूल सिंह का छोटा बेटा जीतू लोधी खेत पर सो रहा था। तभी अचानक झोपड़ी से आग की लपटें उठती दिखीं। जीतू ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की।

दो भैंसों आग की चपेट में आकर जल गईं

इस दौरान जीतू ने जान की परवाह किए बिना झोपड़ी में बंधी पांच भैंसों को बाहर निकाला, लेकिन सभी झुलस गईं। वहीं दो भैंसों आग की चपेट में आकर जल गईं। आग से भैंसों को निकालने के दौरान जीतू के हाथ और पैर भी झुलस गए।

ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग

फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना में फूल सिंह लोधी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।

रायसेन में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

रायसेन (नप्र)। रायसेन के भोपाल रोड स्थित सदलसपुर में रविवार शाम 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान ग्राम मुंडियाखेड़ा निवासी 20 वर्षीय पवन साहू और 26 वर्षीय राजीव विश्वकर्मा के रूप में हुई है। दोनों युवक किसी काम से भोपाल की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वर्तमान में दोनों के शव मॉर्चरी में रखे गए हैं। सोमवार सुबह दोनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मार्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

कगास नदी पर बनेगा 12 फीट ऊंचा पुल बंधवा कोटार-देवरिहनागांव के बीच छह महीने में होगा निर्माण, विधायक ने किया भूमिपूजन

मऊगंज (नप्र)। मऊगंज जिले में कगास नदी पर एक नए पुल का निर्माण होगा। रविवार को शाम 4 बजे बंधवा कोटार और देवरिहनागांव को जोड़ने वाले इस पुल का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पुल चार स्तंभों पर बनेगा और इसकी ऊंचाई 12 फीट होगी। विधायक प्रजापति ने बताया कि इस पुल से



बारिश के मौसम में ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। पहले अल्प वर्षा में भी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें होती थीं। निर्माण एप्रैल को 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी बुजेंद्र पांडेय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का 11वां दिन, केंद्रीय कृषि मंत्री बेंगलुरु में किसानों से मिले बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति : शिवराज सिंह चौहान

बेंगलूर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के अंतर्गत किसानों से संवाद किया। 15 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से हुई थी, जो 12 जून तक चलेगा। अब-तक 11 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों जिसमें ओडिशा के साथ-साथ जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश शामिल हैं, का दौरा कर लाखों किसानों से संवाद किया है। इसी कड़ी में आज उन्होंने बेंगलुरु में किसानों से बातचीत की।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में आकर गर्व महसूस हो रहा है। शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रयास सराहनीय हैं। बेंगलुरु ग्रामीण और आस-पास के क्षेत्रों में बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसानों ने स्वयं भी कई प्रकार के शोध व प्रयोग करके कृषि नवाचार में नए अध्याय जोड़े हैं। आज मैंने ‘कमलम’ (डूंगन फ्रूट) की खेती देखी। ‘कमलम’ की खेती के बारे में किसानों ने अनुभव साझा किए। मुझे जानकारी मिली की ‘कमलम’ की खेती में पहले दो वर्ष तक उतना फायदा नहीं होता, लेकिन तीसरे साल के बाद 6 से 7 लाख रुपये आसानी से बचाए जा सकते हैं। टमाटर के खेतों की भी भ्रमण किया मुझे किसान भाइयों ने ही बताया, कई बार कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद भी 3 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ कमाया जा सकता है।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि ‘लैब से लैंड’ जुड़ना जरूरी है। रिसर्च की रीयल टाइम में किसानों तक पहुंच हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु और क्षेत्र की विशेषता के अनुसार फलों, सब्जियों और फसलों की उपज की सही जानकारी



किसानों तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना की है। इसलिए विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी हैं। बिना कृषि के विकास संभव नहीं है। आज भी 50 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जीडीपी में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। साथ ही इस वर्ष चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7.5 प्रतिशत है, जिसमें कृषि का योगदान 5.4 प्रतिशत है। कृषि में 1 या 2 प्रतिशत की विकास दर बड़ी मानी जाती है। उस लिहाज में यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार हम कृषि क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसान भाइयों-बहनों को प्रणाम करता हूं, वह चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन आगे भी अर्नत संभावनाएं हैं।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमें चार प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिनमें शामिल हैं-

- 145 करोड़ आबादी के लिए खाद्य

सुरक्षा

- पोषणयुक्त आहार
- किसानों के लिए कृषि क्षेत्र को लाभ में बदलना
- मिट्टी की उर्वरक क्षमता को सुरक्षित रखना

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इन्हीं निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ‘लैब को लैंड’ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर वहां कि क्षेत्र विशेष की जानकारी के आधार पर, मिट्टी की उर्वरकता की आवश्यकतानुसार, जलवायु व अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किसानों को सही किस्मों व पद्धति के जरिए कृषि में उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दे रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह ने नकली बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन बीज या कीटनाशक बनाने वालों के प्रति

सरकार सख्ती से पेश आएगी। कानून बनाया जा रहा है। ऐसे कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 16 हजार वैज्ञानिक खेतों में किसानों के पास जाकर शोध की जानकारी दे रहे हैं। ‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ विजन के साथ हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सम्मिलित प्रयासों से भारत को विश्व का ‘फूड बास्केट’ बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। हम अपने देश की जरूरतें भी पूरी करेंगे और विदेशों में निर्यात की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की समृद्धि के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सीधे अपनी उपज बेच सके, बिचौलियों की भूमिका कम हो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) बनाई गई है। आलू, प्याज और टमाटर इन तीन फसलों के लिए यदि कोई किसान

गांधी मेडिकल कॉलेज में टीएमएस से ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज

ओसीडी से लेकर सिजोफ्रेनिया तक में कारगर, 15 मिनट के सेशन से मिलेगा आराम

भोपाल (नप्र)। ऐसे मानसिक रोगी जिन पर दवाओं असर नहीं होता उनको भी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टीमुलेशन (टीएमएस) मशीन मौजूद है। इस मशीन से गैर-आक्रामक उपचार पद्धति से ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, पैनिक अटैक समेत अन्य ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज सिर्फ 15 से 20 मिनट के सेशन में किया जा रहा है।

मेगनेटिक फील्ड के उपयोग से होता है इलाज- टीएमएस मशीन मस्तिष्क के खास भागों को एक्टिव करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों (मेग्नेटिक फील्ड) का इस्तेमाल करती है। इसमें एक क्राइल होती है। जिसे सिर पर रखा जाता है। यह क्राइल एक छोटा, केंद्रित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जब यह मेग्नेटिक फील्ड दिमाग में प्रवेश करता है, तो यह न्यूरोन्स (मस्तिष्क की कोशिकाओं) में छोटे विद्युत प्रवाह उत्पन्न



करती है। मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ. जेपी अग्रवाल ने बताया कि मानसिक बीमारियों में अक्सर मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे सेरोटॉनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन का संतुलन बिगड़ जाता है। मेग्नेटिक सिस्टम में क्राइल से चुंबकीय किरणें निकलती हैं, जो इस असंतुलित हिस्से को संतुलित कर देती हैं। इस तकनीक की सफलता दर 80 से 90 प्रतिशत है। खासकर उन 50 प्रतिशत मरीजों के लिए जिन पर दवाएं असर नहीं करती हैं।3

जबलपुर में बी.टेक छात्र ने किया सुसाइड

सुसाइड नोट में लिखा- कुछ नहीं कर पा रहा हूं; परिजन बोले- बेटे का दांत टूटा, जबरदस्ती हुई

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र का नाम प्रियांशु त्रिपाठी है, जो मैहर जिले का रहने वाला था। जबलपुर में वह शास्त्री नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

शनिवार देर रात जब मकान मालिक ने देखा कि काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला है, तो झांककर देखा तो प्रियांशु फंदे में लटकता हुआ था। सूचना पर पहुंची तिलवारा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सुसाइड नोट में लिखा- कुछ नहीं कर पा रहा- प्रियांशु के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने माता-पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि पुलिस नोट की अन्य बातों की भी जांच कर रही है। छात्र के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से वह काफी परेशान रहने लगा था। उसे कुछ विषयों में बैक आई थी और उसने लोगों से मिलना-जुलना भी कम कर दिया था।

परिजन बोले- बेटे के साथ जबरदस्ती हुई, उसका दांत टूटा था

रविवार सुबह छात्र के परिजन मैहर से जबलपुर पहुंचे। उन्होंने छात्र की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार, प्रियांशु का शव दो गमछों से बने फंदे पर मात्र ढाई फीट ऊंचाई पर लटका था, जबकि उसके पैर जमीन से छू रहे थे। इसके अलावा मृतक का एक दांत टूटा हुआ था, जिससे जबरदस्ती या संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने छात्र के मोबाइल की साइबर जांच और सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की मांग की है। छात्र के दोस्तों के मुताबिक, 4 जून को आए रिजल्ट के बाद से ही वह तनाव में था और मिलना-जुलना भी कम कर दिया था।

पुलिस कर रही जांच

तिलवारा थाना एएसआई पी.एल. बंसल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइबर एनालिसिस और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर, छात्र का अंतिम संस्कार उसके गृह ग्राम करौंदी में किया जाएगा।

समर कैंप में बच्चों ने सीखे जीवन के मूल मंत्र ब्रह्माकुमारीज सेवा केंद्रों पर हुआ आत्मविकास व संस्कार आधारित शिविर

विभिन्न स्कूलों व डांस स्टूडियोज में भी बच्चों को दी जा रही है आध्यात्मिक शिक्षा

भोपाल। गर्मियों की छुट्टियों को सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित न रखते हुए, ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा बच्चों के लिए संस्कार व आत्मविकास पर आधारित समर कैम्प का आयोजन किया गया। एर्जांटिका सेवा केंद्र, विजय नगर सेवा केंद्र और ग्रीन एकड़ सेवा केंद्र पर आयोजित इन विशेष शिविरों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

शिविर में फन गेम्स, ड्राइंग, नृत्य, संगीत, कहानियाँ, समूह चर्चा, योग व राजयोग मेडिटेशन जैसे बहुआयामी सत्र आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों में एकाग्रता, आत्म-विश्वास, सकारात्मक



सोच और नैतिकता जैसे मूल्यों का विकास करना रहा। ‘मैं कौन हूँ’ से लेकर ‘सच्ची खुशी क्या है’ तक के विषयों पर संवाद ब्रह्माकुमारीज की वरिष्ठ बहनों और प्रशिक्षित शिक्षकों ने बच्चों से आत्म-चिंतन पर आधारित प्रश्नों जैसे मैं कौन

हूँ?, मेरे संस्कार कैसे बनते हैं? और शांति कहाँ मिलती है? जैसे विषयों पर संवाद कराए। बच्चों ने इन प्रश्नों को जीवनजने से समझा और अपनी सहजशैली में उत्तरने की प्रेरणा ली।

ध्यान (राजयोग मेडिटेशन) के सरल अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को हूँ?, मेरे संस्कार कैसे बनते हैं? और शांति कहाँ मिलती है? जैसे विषयों पर संवाद कराए। बच्चों ने इन प्रश्नों को जीवनजने से समझा और अपनी सहजशैली में उत्तरने की प्रेरणा ली। ध्यान (राजयोग मेडिटेशन) के सरल अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को अपने विचारों की शक्ति को पहचानने और मानसिक शुद्धता की ओर अग्रसर होने का प्रशिक्षण दिया गया। स्कूलों और निजी संस्थानों में भी पहुंच रही ब्रह्माकुमारीज की सेवा सिर्फ सेवा केंद्रों तक सीमित न रहते हुए, ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों, डांस स्टूडियोज एवं अन्य निजी समर कैम्प में भी विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, तनाव प्रबंधन, मन की एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर रोचक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन संस्थानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आज की पीढ़ी को तकनीकी दुनिया के तनाव से दूर ले जाकर एक संतुलित व

मूल्यनिष्ठ जीवन की ओर प्रेरित करने का श्रेष्ठ माध्यम है।

समापन पर प्रमाणपत्र व प्रस्तुतियाँ

शिविर के अंतिम दिन सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। बच्चों ने नृत्य, अभिनय, गीत और भाषणों के माध्यम से शिविर में सीखी बातों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कई अभिभावक इस दृश्य से भावुक हो उठे और संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे ‘संस्कारों की पाठशाला’ बताया।

संस्था का संदेश

ब्रह्माकुमारीज का यह प्रयास एक संदेश देता है कि यदि प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मिक शक्ति, नैतिक मूल्यों और शांति की सही दिशा मिले, तो वे एक संतुलित, सफल और मूल्यवान जीवन जी सकते हैं।

मध्यप्रदेश में 41 डॉक्टरों और अधिकारियों के तबादले

भोपाल के नए सीएमएचओ बने डॉ. मनीष शर्मा, बोले- पहली प्राथमिकता कोरोना को फैलने से रोकना

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) सहित कुल 41 चिकित्सकों, विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये तबादले सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति वर्ष 2025 के तहत किए गए हैं। इन्हें प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा शनिवार देर रात आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार, भोपाल का नया सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा को बनाया गया है। वे अब तक ग्वालियर में प्रभारी उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने कहा कि भोपाल के सीएमएचओ का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 को फैलने से रोकने की दिशा में काम करना होगी।

वहीं, भोपाल के वर्तमान सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी को वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन 41 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

- डॉ. राजेश कुमार अट्ट्या -सीएमएचओ, दमोह
- डॉ. राज सिंह ठाकुर -सीएमएचओ, कटनी
- डॉ. भरत कुमार खटीक - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी
- डॉ. राजेश प्रसाद तिवारी - प्रभारी, सीएमएचओ, पन्ना
- डॉ. मनोज कुमार हुमाडे - प्रभारी, सीएमएचओ, बैतूल
- डॉ. दिनेश खत्री, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, राजगढ़
- डॉ. हरिनारायण मांडे - प्रभारी, सीएमएचओ, रायसेन
- डॉ. बी. के. वर्मा - प्रभारी, सीएमएचओ, दतिया
- डॉ. दर्पण टोके - प्रभारी, सिविल सर्जन, बुरहानपुर
- डॉ. प्रदीप मोजेश - मुख्य खंडचिकित्सा अधिकारी, बुरहानपुर
- डॉ. वी. एस. चंदेल - प्रभारी, सीएमएचओ, उमरिया
- डॉ. शोभाम रमेशन - संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, सागर
- डॉ. धरित्री जे. मोहंती -सीएमएचओ, मंडला
- डॉ. पवन जैन - प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
- डॉ. एम. के. जोशी - संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, उज्जैन
- डॉ. जितेन्द्र राजपूत - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन
- डॉ. राजेश सिसोदिया - जिला चिकित्सालय, हरदा
- डॉ. किरण वाड्डिया - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. भूपे सिंह सैत्या - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, ग्वालियर
- डॉ. पवन शर्मा - शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर
- डॉ. नीरज कुमार - शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, भिंड
- डॉ. अलका त्रिवेदी - प्रभारी, सीएमएचओ, अशोकनगर
- डॉ. के. सी. सरोत - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. माधव हसानी - प्रभारी, सीएमएचओ, इंदौर
- डॉ. राधेन्द्र कुमार खाड्योत - प्रभारी, सीएमएचओ, नीमच
- डॉ. रामहित कुमार - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा
- डॉ. मनीष शर्मा -सीएमएचओ, भोपाल
- डॉ. प्रभाकर तिवारी - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. दिनेश देहलवार - प्रभारी, सीएमएचओ, मालवा
- डॉ. राजेश गुप्ता - जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी, बड़वानी
- डॉ. मनोज कौरव - डीएचओ, ग्वालियर
- डॉ. नरसिंह गेहलोत - सीएमएचओ, नर्मदापुरम
- डॉ. सनेराम परस्ते - प्रभारी, सिविल सर्जन, अनूपपुर
- डॉ. अनिल झामनानी - प्रभारी, सीएमएचओ, निवाड़ी
- डॉ. रामकुमार गुप्ता - सीएमएचओ, ग्वालियर
- डॉ. प्रदीप कुमार जैन - शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर
- डॉ. यशपाल सिंह - प्रभारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अश्वीक्षक, रायसेन
- डॉ. मुकेश जैन - शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, दमोह
- डॉ. एस. के. त्रिपाठी - प्रभारी, सीएमएचओ, पन्ना
- डॉ. राजेश परिहार - जिला परिवार कल्याण अधिकारी, बैतूल
- डॉ. सुशीला यादव - चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सागर

सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु की सगाई खरगोन के बड़े किसान की बेटी डॉक्टर इशिता बनेंगी यादव परिवार की बहू

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई भोपाल में एक सादे समारोह में हुई। खरगोन के सेल्दा गांव की रहने वाली इशिता सीएम मोहन यादव के परिवार की बहू बनेंगी। डॉ. इशिता सेल्दा के बड़े किसान दिनेश यादव (पटेल) की बेटी हैं। सगाई समारोह दोनों परिवारों के परिजन और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सीएम हाउस में हुआ। इस दौरान बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे।

सीएम डॉ. मोहन यादव और सीमा यादव के दो बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे और बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है। सीएम ने बेटे की सगाई की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- बाबा श्री महाकाल और श्री गोपाल कृष्ण की परम कृपा और पूज्य पिता और माताश्री के आशीर्वाद



से पुत्र चिरंजीवी डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई, खरगोन के दिनेश यादव जी की सुपुत्री डॉ. इशिता यादव के साथ संपन्न हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत कई गणमान्य नेता शामिल थे।

पारंपरिक रीति से रिंग सेरेमनी, दोनों हैं डॉक्टर

सीएम हाउस में आयोजित सगाई समारोह में दोनों ने पारंपरिक पूजन के बाद एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। डॉ. अभिमन्यु यादव एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज भोपाल से मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं, वे सेकेंड ईयर में हैं। वहीं डॉ. इशिता एमबीबीएस कर रही हैं।

एमपी में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री 8 जिलों में बारिश का अलर्ट; 9-10 जून को ग्वालियर-चंबल में लू चलेगी



भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज-चमक के साथ लू भी चलेगी। दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है, जबकि 9 और 10 जून को ग्वालियर-चंबल में हीट वेव यानी, लू भी चल सकती है। इससे पहले शनिवार को इंदौर, नर्मदापुरम-बड़वानी में बारिश हुई। वहीं, 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 10 दिन से मानसून महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री लेट हो

रही है। अगले 3 से 4 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना कम ही है।

इन जिलों में आज मौसम बदला रहेगा

बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाण्डुरा और सिवनी में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है। वहीं, सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना में लू का अलर्ट है। सिवनी, छिंदवाड़ा, पाण्डुरा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में गरज-चमक और बारिश वाला मौसम रह सकता है। इंदौर,

नर्मदापुरम, बड़वानी जिले में बारिश, 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार प्रदेश में शनिवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। इंदौर, नर्मदापुरम और बड़वानी के संंधवा में हल्की बारिश हुई। वहीं, ग्वालियर समेत 13 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, खजुराहो और गुना में पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, ग्वालियर, नैगांव, शाजापुर, सतना, टीकमगढ़ और शिवपुरी में 41 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। उज्जैन, सीधी, रीवा, सागर और रतलाम में तापमान 40.2 से 40.8 डिग्री तक रहा।

चलती ट्रेन से फिसला युवक, आरपीएफ जवान ने बचाया

भोपाल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा; प्लेटफार्म-कोच के बीच में फंस रहा था युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन पर चढ़ते समय एक युवक का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। वह प्लेटफार्म और कोच के बीच में फंसने लगा। तभी आरपीएफ जवान ने दौड़ लगाई और खींचकर युवक को बचा लिया।

मामला शनिवार शाम का है, जो रविवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार, शाम को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म-1 से खाना हो रही

थी। इसी दौरान भोपाल के गांधीनगर निवासी अमरपाल सिंह प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अपने परिजनों को ट्रेन में बैठाने आए थे। अधिक सामान चढ़ाने के लिए कोच में गए थे। ट्रेन के चलने के बाद जब उन्होंने नीचे उतरने का प्रयास किया, तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए।

आरक्षक ने तुरंत खींचा- मौके पर मौजूद आरपीएफ आरक्षक कृष्ण कुमार ने हादसा होते देख दौड़ लगाई और युवक को खींचकर

बाहर निकाला। जिससे उसकी जान बच गई। युवक को केवल मामूली खरोंचें आईं। जिनका उपचार स्टेशन पर स्थित डिस्पेंसरी में किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि आरक्षक की सतर्कता और त्वरित निर्णय ने एक संभावित गंभीर हादसे को टाल दिया। उन्होंने यात्रियों से यह भी अपील की कि वे चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें और केवल गाड़ी के पूर्णतः रुकने पर ही चढ़ें या उतरें।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार की सुबह मुख्यमंत्री निवास पर गायों को दुलार किया और उन्हें रोटी खिलाई।

3 साल का बच्चा सीकर में किडनैप

मां और दादी के साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए गया था, स्टेशन पर किडनैपर ने की दोस्ती

भोपाल (नप्र)। भोपाल से राजस्थान सीकर गए एक 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा अपनी दादी और मां के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया। जैसे ही जयपुर स्टेशन पर पहुंचे, एक युवक उनसे मिला और कहा कि वह भी खाटू श्याम जा रहा है। इसके बाद वह उनके साथ चल दिया।



खाटू प्रयागजी मंदिर पहुंचने पर युवक ने भीड़ का बहाना बनाया और बच्चे को अपने पास रखकर मां-दादी को दर्शन के लिए भेज दिया। जब दोनों महिलाएं दर्शन करके लौटीं तो न तो बच्चा मिला और न ही वह युवक। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी तलाश अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है।

एकादशी पर दर्शन करने पहुंचे थे

भोपाल से एकादशी पर दर्शन के लिए आए परिवार के साथ बड़ी वारदात हो गई। मां ने बताया कि 6 जून को वह 3 साल के बेटे रक्षम और सास आशा के साथ ट्रेन से जयपुर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर एक युवक से मुलाकात हुई, जो खाटू जाने की बात कहकर उनके साथ हो लिया।

खाटू पहुंचने पर युवक ने मासिक मेले की भीड़ का बहाना बनाया। मां-दादी को दर्शन के लिए भेज दिया और बच्चे को अपने पास रख लिया। जब दोनों महिलाएं लौटीं तो बच्चा और युवक गायब थे।

थाने के आसपास भी घूमा, फिर गायब हो गया

पुलिस जांच में सामने आया कि किडनैपर बच्चे को एक दुकान पर ले गया, जहां उसे फस्टी पिलाई। वह पुलिस थाने के आसपास भी घूमा, फिर कहीं गायब हो गया। 7 जून की शाम को मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देश पर कई टीमें सर्चिंग कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आसपास के इलाकों में तलाश जारी है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज पुलिस मुख्यालय के पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री अंशुमान सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेंडियो में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 6,52,057 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार 55,220 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन शाखा, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य आयोजित की थी। संपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत कुल 6423 अभ्यर्थी (5090 पुरुष एवं 1333 महिला) का चयन किया गया था। द्वितीय चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान नवम्बर 2024 में परीक्षा केन्द्र मुरैना में 05 अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु भेजा गया, जिन्हें संदिग्ध पाते हुए, परीक्षा में शामिल न कर उक्त उम्मीदवारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही



की गई थी।

इस अनुभव के आधार पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अंतिम परिणाम जारी होने के उपरांत सभी सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं नैतिक प्रक्रिया के दौरान उनकी आवंटित इकाईयों से बायोमेट्रिक एवं आधार बिस्ट्री की जांच पुनः कराये जाने हेतु निर्देश 21-04-2025 को निर्देश जारी किये गये। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में कुछ पंजीबद्ध किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही

बारीकी से जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के पूर्व अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक ठीक बाद उनके द्वारा पुनः आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया। ऐसे अभ्यर्थियों पर संदेह के आधार पर इनकी जांच कराई गई, जिसमें इनके हस्ताक्षर नमूना, हस्तलिपि, फिंगर प्रिंट लिये गये। साथ ही परीक्षा के दौरान इनके द्वारा दिये गये फिंगर प्रिंट, हस्तलिपि, के नमूने को प्राप्त कर उनकी जांच कराई गई। अभ्यर्थियों की वास्तविक लोकेशन के संबंध में तकनीकी रूप से भी जांच कराई गई, जिसमें भिन्नता पाये जाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। अभी तक कुल 21 प्रकरण 22 अभ्यर्थियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किये जा चुके हैं, जिसमें मुरैना में 07, शिवपुरी-06, रथपुर-02 तथा इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़ तथा शहडोल में 01-01 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आये हैं कि कुछ आधार कार्ड बेण्डों द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के आधार कार्ड को बिना पूरी तरह जांच किये संशोधन के लिए अपने सिस्टम में अपलोड किया गया था।

परीक्षा पास करने वाले हर आरक्षक की अंकसूचियों की होगी जांच

पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जीवाड़ा कर पास हुए नवआरक्षकों के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ग्वालियर-चंबल में अब तक 22 आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी जगह किसी साल्वर को बैठकर परीक्षा पास की है। जांच में जुटे अफसरों को अब संदेह है कि कई आरक्षकों को बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी फर्जी हो सकती है, इसलिए नवआरक्षकों की अंकसूचियों की भी जांच करवाई जाएगी।

धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम की धाराओं में एफआईआर

गौरतलब है, कि आरक्षक भर्ती के बाद हर जिले को नवआरक्षकों का कोटा दिया गया है। मुरैना जिला पुलिस को 38 और 5वीं बटालियन को 106 आरक्षकों का कोटा मिला है। इनमें से बटालियन में अब तक पांच ऐसे आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो व बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट बदलवाकर साल्वर के जरिए भर्ती परीक्षा पास की। जिला पुलिस भी ऐसे दो नवआरक्षक पकड़ चुकी है। इन सातों पर धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम की धाराओं में एफआईआर हो चुकी है।